समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला पशुपालन विभाग)

निविदा संख्या– 03/वर्ष : 2019

संभावित बाढ़/सुखाड़ 2019 से प्रभावित होने वाले पशुओं को चारा/चौकर की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान एवं आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 27.07.2019 के अपराह्ण 1:00 बजे तक मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को उसी दिन अपराह्ण 2:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें सभी निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

–: सामग्रियों का विवरण :–

सूखा चारा (गेहूँ का भूसा)/चौकर (मकई/गेहूँ) – दर प्रति क्विंटल
(मधुबनी जिला के बाढ़/सुखाड़ प्रभावित प्रखंड मुख्यालयों तक पहुँचाने का सभी टैक्स एवं परिवहन व्यय सहित)

निविदा हेतु शर्त :–

1. निविदा के रूप में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग–अलग शिल्ड लिफाफा में जमा करना होगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफा अंकित रहेगा।
2. तकनीकि निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदा दाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद जमा किये गये निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

तकनीकि निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकि निविदा फार्म का निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन एवं वाणिज्यकर विभाग द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नं0 एवं पैन कार्ड की छायाप्रति एवं फर्म का नाम कभी काली सूची में दर्ज नही है, के संबंध में शपथ पत्र एवं विगत तीन वर्षों का **Income tax Return** जमा करने की प्रमाण–पत्र, **GST** का विवरणी देना होगा।
2. निविदा दाता को जमानत राशि के रूप में मो0– 10,000=00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी के पक्ष में देय होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, मधुबनी पर भुगतेय होगा, तकनीकि लिफाफा के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा खुलने के दिन ही निविदा दाताओं को आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का नमूना उल्लेखित दर के अनुरूप देना होगा तथा नमूना में दिखाया गया सामग्री ही आपूर्ति करनी होगी। नमूना संतोषप्रद नही होने पर इसे अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा, चाहे निविदा दाता का दर न्यूनतम ही क्यों न हों।

वित्तीय निविदा की शर्तें :–

1. निर्धारित मानकों के अनुरूप आपूर्ति किये जाने वाले सूखा चारा/चौकर का आपके फर्म का न्यूनतम दर सभी कर एवं परिवहन व्यय सहित अंकित होगा।
2. आपूर्ति के विरुद्ध समर्पित विपत्र से नियमानुसार देय **GST** की कटौती एक मुस्त भुगतान के समय की जाएगी।

निविदा की अन्य शर्तें :–

1. निविदा दाताओं में से स्वीकृत निविदा दाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत नमूना के अनुरूप चारे की आपूर्ति निश्चित रूप से करना होगा।
2. निविदा में अंकित मूल्य पर जिला में किसी स्थानों पर समानों की आपूर्ति करनी होगी तथा निविदा में स्वीकृत दर पूरे बाढ़ अवधि के लिए मान्य होगी।
3. स्वीकृत निविदा दाता को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
4. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत या स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इस निविदा से संबंधित जानकारी **madhubani.bih.nic.in**पर भी देखा जा सकता है।
6. कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व सफल निविदादाता को निविदा निष्पादन के दो दिनों के अन्दर उपर्युक्त शर्तों के आधार पर एकरारनामा भी करना होगा।

5/7/19
जिला पशुपालन पदाधिकारी
मधुबनी

5/7/19
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।